

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 नवम्बर, 2017-कार्तिक 26, शके 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH BENCH AT INDORE
(ORIGINAL JURISDICTION)

Company Petition No. 35/2016

In the matter of section 433 (e), (f) & 434 of The Companies Act, 1956.

AND

In the matter of Dhanlaxmi Solvex Private Limited.,
Registered Office: 201, Bansi Plaza,
581, M.G. Road, Indore (M.P.) 452001

And

N.K. Maheshwari

.....Petitioner

Versus

M/s Dhanlaxmi Solvex Private Limited.

.....Respondent

NOTICE OF PETITION

Notice is hereby given that a petition for the winding up of the above named company by the High Court of the State of Madhya Pradesh at Indore was on 07/09/2016 presented to the said Court by the said petitioner and that the said petition is directed to be heard before the Court on 12th day of December 2017 at 10.30 A.M.

Any creditor or contributory or other person desirous of supporting or opposing the making of an order on the said petition should send to the petitioner or his advocate notice of his intention signed by him or his advocate with his name and address, so as to reach the petitioner or his advocate not later than 5 days before the date fixed for the hearing of the petition, and appear at the hearing for the purpose in person or by his advocate.

A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any creditor or contributory on payment of the prescribed charges for the same.

Any affidavit intended to be used in opposition to the petition should be filed in court, and a copy served on the petitioner or his advocate, not less than 5 days before the date fixed for the hearing.

Indore:

Date:07-11-2017
(509-B.)

DHEERAJ SINGH PANWAR,

(Advocate for Petitioner)

99/2, Nanda Nagar, Indore 452011 (M.P.).

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

ईश्वर सिंह राजपूत पुत्र श्री जयसिंह राजपूत की सभी अंकसूचियों में उनका नाम ईश्वर प्रसाद राजपूत पुत्र जय सिंह राजपूत अंकित है. जिसे ईश्वर सिंह राजपूत पुत्र जयसिंह राजपूत पढ़ा जाए एवं उन्हें इसी नाम से जाना जाए.

पुराना नाम :

(ईश्वर प्रसाद राजपूत)

(511-बी.)

नया नाम :

(ईश्वर सिंह राजपूत)

नाम परिवर्तन

श्रीमति दुर्गेश्वरीसिंह जादौन पुत्री गोपीरमन सिंह जादौन को शादी के बाद श्रीमति मंजू राजपूत पत्नि ईश्वर सिंह राजपूत के नाम से जाना जाए. उनका निवास स्थान राजपूत कॉलोनी साकेत नगर, वार्ड क्रमांक 7, बरेठ रोड, गंजबासौदा है.

पुराना नाम :

(दुर्गेश्वरीसिंह जादौन)

(512-बी.)

नया नाम :

(मंजू राजपूत)

नाम परिवर्तन

मैं, यह घोषणा करता हूँ कि पूर्व में मेरा नाम ओमप्रकाश था एवं सभी मार्कशीट में भी ओमप्रकाश ही लिखा है और अब मैंने अपने नाम के साथ अपना सरनेम भी जोड़ लिया है. अब मैं अपना पूरा नाम OM PRAKSH ANDLE के नाम से जाना एवं पहचाना जाता हूँ. अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(ओमप्रकाश)

(497-बी.)

नया नाम :

(OM PRAKSH ANDLE)

201, वत्सल्य मेशन 7/सी,
सिटी सेन्टर, ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम गुरुदत्त मिश्रा पुत्र श्री रामकृपाल मिश्रा, आयु 31 वर्ष, लगभग, निवासी जी. आई. 6, आईटीआई गोविंदपुर, भोपाल भविष्य में मुझे विनीत मिश्रा के नाम से जाना जाएगा.

पुराना नाम :

(गुरुदत्त मिश्रा)

(513-बी.)

नया नाम :

(विनीत मिश्रा)

CHANGE OF NAME

Before marriage my name was Merina Hemangini Toppo After marriage I have changed my name Shivani Patil W/o Shivaji Patil.

Old Name:

(MERINA HEMANGINI TOPPO)

(500-B.)

New Name :

(SHIVANI PATIL)

Add:- H-3/1, Navlakha Near Bouloriya,
Quarters, Indore (M.P.).

CHANGE OF NAME

I, Swati Sathe D/o Prakash Shankar Sathe Changed my name to after marriage Ketki Karanjgaonkar W/o Kaustubh Karanjgaonkar and now I would be known as Ketki Karanjgaonkar W/o Kaustubh Karanjgaonkar.

Old Name:
(**SWATI SATHE**)

(499-B.)

New Name :
(**KETKI KARANJGAONKAR**)
Add:- F. No. C-201, Shubh Labh Valley,
Near Bangali Square, Indore (M.P.).

CHANGE OF SURNAME

I, Shri Dhawal Kamrani have changed my name from Dhawal kamrani to Dhawal Arora by affidavit sworn before the Notary Public, Bhopal, Madhya Pradesh on 29-10-2016. Henceforth, I shall be known as Dhawal Arora for all purposes.

Old Name:
(**DHAWAL KAMRANI**)

(501-B.)

New Name :
(**DHAWAL ARORA**)
F-108/3, Shivaji Nagar, Bhopal (M.P.).

नाम परिवर्तन

विवाह पूर्व मेरा नाम कु. प्रमोदिनी मुजुमदार था विवाह के बाद मेरा नाम श्रीमती राधिका गोविंद तारे हो गया है. अब से मुझे श्रीमती राधिका गोविंद तारे के नाम से जाना जाए.

पुराना नाम :
(**कु. प्रमोदिनी मुजुमदार**)

(502-बी.)

नया नाम :
(**राधिका तारे**)
43-बी, बंदना नगर, इन्दौर.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम समस्त शैक्षणिक व शासकीय अभिलेखों में जय पीपड़ा दर्ज है जो कि अब बदलकर मेरा वास्तविक नाम जयदेव पीपड़ा के नाम से जाना जावेगा. यही समस्त शैक्षणिक व शासकीय दस्तावेजों में दर्ज होगा.

पुराना नाम :
(**जय पीपड़ा**)

(503-बी.)

नया नाम :
(**जयदेव पीपड़ा**)
पिता श्री योगेश पीपड़ा,
सहा. प्रबंधक सेंट्रल बैंक,
शाखा तेंदूखेड़ा, दमोह (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम कुमारी संतोष चन्दानी पुत्री श्री जयमतराय चन्दानी था. शादी पश्चात् मेरा नाम श्रीमती संगीता वाधवानी पति श्री रमेश चन्द्र वाधवानी हो गया है. अतः भविष्य में मुझे श्रीमती संगीता वाधवानी के नाम से जाना, पढ़ा एवं समझा जावे.

पुराना नाम :
(**संतोष चंदानी**)

(504-बी.)

नया नाम :
(**संगीता वाधवानी**)
पत्नी-श्री रमेश चन्द्र वाधवानी,
निवासी-966, भौंसले की गोठ,
लशकर, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरा नाम राजेन्द्र प्रसाद चोलकर दर्ज है, यह कि मैं, अपना नाम स्वेच्छा से परिवर्तित करवाना चाहता हूँ। अब मैं, अपना नाम राजेन्द्र प्रसाद चोलकर के स्थान पर राजेन्द्र चोलकर के नाम से जाना, पहचाना जाऊंगा।

पुराना नाम :

(राजेन्द्र प्रसाद चोलकर)
(RAJENDRA PRASAD CHOLKAR)
(505-बी.)

नया नाम :

(राजेन्द्र चोलकर)
(RAJENDRA CHOLKAR)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, पर्वतसिंह टोनेरे जाति (अहिरवार), निवासी विन्ध्याचल कॉलोनी, नवीन स्कूल रोड, गुना मेरे समस्त शासकीय/गैर शासकीय शैक्षणिक दस्तावेजों में पर्वतसिंह अहिरवार पुत्र श्री दिमानसिंह अहिरवार दर्ज है। अब मैं अपना नाम पर्वतसिंह अहिरवार के स्थान पर पर्वतसिंह टोनेरे लिखता हूँ। टोनेरे मेरा गोत्र है। अब मुझे पर्वतसिंह टोनेरे के वास्तविक नाम से जाना एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

(पर्वतसिंह अहिरवार)
(506-बी.)

नया नाम :

(पर्वतसिंह टोनेरे)
नवीन स्कूल रोड,
विन्ध्याचल कॉलोनी, गुना.

नाम परिवर्तन

सूचित हो, मेरा वास्तविक व सही नाम रितिका अहीर (RITIKA AHIR) पिता मनोहरलाल अहीर है व मेरा घरेलू नाम रीतिका अहीर (REETIKA AHIR) पिता मनोहरलाल अहीर है। इस प्रकार उक्त दोनों नाम मेरे ही होकर एक ही व्यक्ति के नाम है। अब मैं, भविष्य में अपने वास्तविक व सही नाम "रितिका अहीर (RITIKA AHIR) पिता मनोहरलाल अहीर " से जानी-पहचानी व संबोधित की जाऊंगी।

पुराना नाम :

(REETIKA AHIR)
(507-बी.)

नया नाम :

(रितिका अहीर) ,
(RITIKA AHIR)
पिता मनोहरलाल अहीर,
पता-बंगला नं. 58, प्लॉट नं. 32-सी,
स्टेशन रोड, नीमच, जिला नीमच (म.प्र.)-458441.

उप-नाम परिवर्तन

मैं, रामसजीवन साहू तनय श्री शिवमंगल साहू, उम्र-72 वर्ष, निवासी ग्राम नगमा पोस्ट-सितलहा, तहसील, थाना-जवा, जिला रीवा म.प्र. का हूँ शपथपूर्वक निम्न कथन करता हूँ कि-

1. यह कि मैं, शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे सेवा-पुस्तिका में मेरा नाम रामसजीवन वर्मा अंकित कर दिया गया था। 2. यह कि मेरे गाँव के राशन कार्ड व राजस्व अभिलेखों में मेरा सरनेम साहू अंकित है इसलिये मेरे समस्त अभिलेखों में मेरा नाम रामसजीवन साहू अंकित कर पढ़ा, माना, समझा जाय। जिससे मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी एवं रामसजीवन वर्मा विलोपित कर दिया जाए, मैं, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग रीवा से सेवा निवृत्त हुआ हूँ।

(508-बी.)

प्रार्थी,
रामसजीवन साहू,

PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s BHAWNA FILLING STATION, having the principal place business at Survey No. 224/1, SH No. 26, Balaghat - Seoni State Highway, Lalbarra, Distt: Balaghat, a Partnership firm incorporated on 30th April 2003, having Three Partners named as (1) Shri Rajendra Prasad Sharma, (2)Smt. Kanta Sharma (3) Shri Punit Sharma. That with effect from 10th November 2014, a new partnership deed has been formed due to the reason that Shri Punit Sharma has expired on 9th November 2014 and thus a new Partner Smt. Meenaksi Paliwal has been introduced in the Firm. Thus with effect from 10th November 2014 the Firm, M/s Bhawna Filling state has three Partners namely (1) Shri Rajendra Prasad Sharma, (2) Smt. Kanta Sharma, (3) Smt. Meekanshi Paliwal. This Public notice is being published for the purpose of information to be given to office of Registrar of Firms and Society.

(510-B.)

Firm-M/s Bhawna Filling Station,
RAJENDRA PRASAD SHARMA,
(Partner).

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 01 नवम्बर, 2017

राज्य अभियांत्रिकी सेवा ऑनलाईन (प्रारम्भिक) परीक्षा-2017, परीक्षा, दिनांक 16 जुलाई, 2017 (रविवार)

संक्षिप्त समाचार-विज्ञप्ति

वि.क्र.-11378/21/2017/अनु.-10.—आयोग के विज्ञापन क्रमांक-03/2017/08 मार्च, 2017, ऑनलाईन आवेदन अंतिम तिथि 15 अप्रैल, 2017, (शुद्धि-पत्र क्रमांक 01/03/2017/दिनांक 22-03-2017 पद संख्या में संशोधन), (शुद्धि-पत्र क्रमांक 02/03/2017/दिनांक 10-04-2017 पद संख्या में संशोधन), विभिन्न विभागों के अंतर्गत सहायक यंत्री (सिविल)-116, सहायक यंत्री (विद्युत)-11, सहायक यंत्री (यांत्रिकी)-02, कुल-129 पदों हेतु राज्य अभियांत्रिकी सेवा ऑनलाईन प्रारम्भिक परीक्षा-2017, दिनांक 16 जुलाई, 2017 को दो सत्रों में प्रातः 10:30 से 12:30 एवं दोपहर पश्चात् 03:30 से 05:30 बजे तक इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, उज्जैन, सतना एवं रीवा स्थित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की गई थी.

2. उपरोक्त परीक्षा में पद संख्या के 15 गुना जिसमें समान अंक प्राप्त अर्ह आवेदक सम्मिलित हैं इनमें पदवार, श्रेणीवार प्रावधिक अर्ह आवेदकों की संख्या निम्नानुसार है :-

1. **सहायक यंत्री सिविल**, में कुल 1776 आवेदक अर्ह पाये गये, इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित 836, अनुसूचित जाति-281, अनुसूचित जनजाति-424 व अन्य पिछड़ा वर्ग-235 हैं. इनमें कुल महिला-542 एवं समान अंक कुल-36 सम्मिलित हैं. अर्ह आवेदकों में निःशक्तजन-अस्थिबाधित कुल-53 एवं श्रवणबाधित कुल-10 सम्मिलित हैं.
 2. **सहायक यंत्री विद्युत**, में कुल 169 आवेदक अर्ह पाये गये, इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित-78, अनुसूचित जाति-30, अनुसूचित जनजाति-45 व अन्य पिछड़ा वर्ग-16 हैं. इनमें कुल महिला-47 एवं समान अंक कुल-04 सम्मिलित हैं. निःशक्तजन- अस्थिबाधित-06 सम्मिलित हैं.
 3. **सहायक यंत्री यांत्रिकी**, में कुल-30 आवेदक अर्ह पाये गये, इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित-30, अनुसूचित जाति-निरंक, अनुसूचित जनजाति-निरंक व अन्य पिछड़ा वर्ग-निरंक हैं. इनमें कुल महिला-15 हैं. निःशक्तजन-निरंक हैं.
3. प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी अपने अनुप्रमाण फॉर्म, व्यक्तिगत विवरण फॉर्म, उपस्थिति पत्रक एवं अपनी अर्हता से संबंधित समस्त अभिलेख www.mponline.gov.in, www.mppsc.com, www.mppsc.nic.in एवं www.mppscdemo.in पर उपलब्ध कराए **Online Module** में प्रविष्टि कर **Upload** करेंगे.
 4. अभिलेख **Upload** की अवधि दिनांक 04-11-2017 (दोपहर 12.00 बजे) से 04-12-2017 (रात्रि 12.00 बजे) तक रहेगी. जो अभ्यर्थी अंतिम तिथि तक **Online** विधि से अभिलेख प्रस्तुत नहीं करेंगे उनकी अभ्यर्थिता स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा इस संदर्भ में किसी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा.
 5. डाक आदि से प्राप्त अभिलेख मान्य नहीं किए जाएंगे. अतः सभी प्रपत्र **Online** ही भरे जाना है तथा अभिलेख अपलोड किए जाना है.
 6. मुख्य परीक्षा हेतु प्रावधिक अर्ह पाए अभ्यर्थी अपने अनुप्रमाण फॉर्म एवं व्यक्तिगत विवरण फॉर्म ऑनलाईन आयोग की वेबसाइट www.mponline.gov.in, www.mppsc.com, www.mppsc.nic.in एवं www.mppscdemo.in पर दिनांक 04-12-2017 (रात्रि 12.00 बजे) तक भर सकेंगे. मुख्य परीक्षा हेतु प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थी अनुप्रमाण फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण ऑनलाईन भरने के साथ ही निम्नानुसार प्रमाण-पत्रों की सत्यापित स्वप्रमाणित प्रति स्केन कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करेंगे-
 1. जन्मतिथि, 2. शैक्षणिक योग्यता, 3. जाति प्रमाण-पत्र, 4. मूल निवासी प्रमाण-पत्र, 5. निःशक्त अभ्यर्थी (PH) निःशक्तता प्रमाण-पत्र, 6. आधार कार्ड, 7. बैंक खाता विवरण के पृष्ठ की प्रति (SC/ST/OBC अभ्यर्थियों हेतु), 8. भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण-पत्र, 9. शासकीय सेवक, शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र, 10. अनापत्ति प्रमाण-पत्र, 11. अन्य प्रमाण-पत्र (यदि हो तो).
 7. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में दी गई जानकारी एवं अभिलेखों की मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् सूक्ष्म जांच/परीक्षण उपरांत सही पाई जाने पर ही आवेदक को साक्षात्कार की पात्रता होगी. मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अभ्यर्थी को उक्त वर्णित समस्त मूल अभिलेख सहित साक्षात्कार में उपस्थित होना है.
 8. इस परीक्षा में सफल आवेदकों हेतु राज्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा-2017, इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर संभागीय मुख्यालयों स्थित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी. परीक्षार्थियों की संख्या तथा प्रशासनिक कारणों से केन्द्रों की संख्या परिवर्तनशील रहेगी. प्रारम्भिक परीक्षा में सफल आवेदकों को मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरकर आवेदन एवं परीक्षा शुल्क का ऑनलाईन

भुगतान करना आवश्यक होगा. उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया का भुगतान अभ्यर्थी यथास्थिति **Netbanking/Credit card/Debit card** अथवा **Mponline** के कियोस्क पर नगद भुगतान द्वारा कर सकेगा. आवेदकों को मुख्य परीक्षा हेतु निम्नानुसार आवेदन एवं परीक्षा शुल्क देय होगा-

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त श्रेणी आवेदकों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क
रु. 400/-	रु. 800/-
अभ्यर्थी द्वारा स्वयं आवेदन करने पर रु. 100/- पोर्टल चार्ज	
कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर रु. 150/- पोर्टल चार्ज	

9. आवेदक ऑनलाईन आवेदन-पत्र में दिनांक 08-11-2017 से दिनांक 08-12-2017 तक त्रुटि सुधार भी कर सकेंगे. त्रुटि सुधार अवधि के पश्चात् आवेदन-पत्र में कोई सुधार नहीं किए जा सकेंगे. त्रुटि सुधार हेतु प्रति सुधार सत्र रु. 50/- देय होंगे जिन आवेदकों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु अंतिम तिथि तक ऑनलाईन आवेदन-पत्र नहीं भरे जायेंगे. राज्य अभियांत्रिकी सेवा (मुख्य) परीक्षा-2017 हेतु उनकी उम्मीदवारी स्वयंमेव समाप्त हो जाएगी एवं इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य न करते हुए उन्हें नस्तीबद्ध कर दिया जाएगा.
10. मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी अभ्यर्थियों को जो कहीं सेवारत न हों तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तथा पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हों मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में उल्लेखित वर्तमान पते के शहर/ग्राम से उन्हें आवंटित परीक्षा शहर तक आने-जाने के यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाईन पद्धति से अभ्यर्थी के बैंक खाते में किया जाएगा. अभ्यर्थियों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा-पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना होंगे :-
 - (1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति.
 - (2) यात्रा टिकट, जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गई तथा किराये की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो.
 - (3) बैंक खाता विवरण, खाता क्रमांक, बैंक का नाम तथा **IFSC** (आई.एफ.एस.सी.) सहित बैंक पासबुक की स्वप्रमाणित प्रति.
11. ऑनलाईन आवेदन भरने के संदर्भ में किसी भी जानकारी /शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाईन पर संपर्क करें.

दूरभाष-750-4019400

ई-मेल : mppsonline@gmail.com

(1619)

इन्दौर, दिनांक 01 नवम्बर, 2017

राज्य अभियांत्रिकी सेवा ऑनलाईन (प्रारम्भिक) परीक्षा-2017, परीक्षा, दिनांक 16 जुलाई, 2017 (रविवार)
परीक्ष परिणाम

वि.क्र.-11378/21/2017/अनु.-10.—आयोग के विज्ञापन क्रमांक-03/2017/08 मार्च, 2017, ऑनलाईन आवेदन अंतिम तिथि 15 अप्रैल, 2017, (शुद्धि-पत्र क्रमांक 01/03/2017/दिनांक 22-03-2017 पद संख्या में संशोधन), (शुद्धि-पत्र क्रमांक 02/03/2017/दिनांक 10-04-2017 पद संख्या में संशोधन), विभिन्न विभागों के अंतर्गत सहायक यंत्री (सिविल)-116, सहायक यंत्री (विद्युत)-11, सहायक यंत्री (यांत्रिकी)-02, कुल-129 पदों हेतु राज्य अभियांत्रिकी सेवा ऑनलाईन प्रारम्भिक परीक्षा-2017, दिनांक 16 जुलाई, 2017 को दो सत्रों में प्रातः 10:30 से 12:30 एवं दोपहर पश्चात् 03:30 से 05:30 बजे तक इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, उज्जैन, सतना एवं रीवा स्थित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की गई थी.

2. उपरोक्त परीक्षा में पद संख्या के 15 गुना जिसमें समान अंक प्राप्त अर्ह आवेदक सम्मिलित हैं इनमें पदवार, श्रेणीवार प्रावधिक अर्ह आवेदकों की संख्या निम्नानुसार है :-

1. **सहायक यंत्री सिविल**, में कुल 1776 आवेदक अर्ह पाये गये, इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित 836, अनुसूचित जाति-281, अनुसूचित जनजाति-424 व अन्य पिछड़ा वर्ग-235 हैं. इनमें कुल महिला-542 एवं समान अंक कुल-36 सम्मिलित हैं. अर्ह आवेदकों में निःशक्तजन-अस्थिबाधित कुल-53 एवं श्रवणबाधित कुल-10 सम्मिलित हैं.
2. **सहायक यंत्री विद्युत**, में कुल 169 आवेदक अर्ह पाये गये, इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित-78, अनुसूचित जाति-30, अनुसूचित जनजाति-45 व अन्य पिछड़ा वर्ग-16 हैं. इनमें कुल महिला-47 एवं समान अंक कुल-04 सम्मिलित हैं. निःशक्तजन- अस्थिबाधित-06 सम्मिलित हैं.
3. **सहायक यंत्री यांत्रिकी**, में कुल-30 आवेदक अर्ह पाये गये, इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित-30, अनुसूचित जाति-निरंक, अनुसूचित जनजाति-निरंक व अन्य पिछड़ा वर्ग-निरंक हैं. इनमें कुल महिला-15 हैं. निःशक्तजन-निरंक हैं.

3. प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी अपने अनुप्रमाणन फॉर्म, व्यक्तिगत विवरण फॉर्म, उपस्थिति पत्रक एवं अपनी अर्हता से संबंधित समस्त अभिलेख www.mponline.gov.in, www.mppsc.com, www.mppsc.nic.in एवं www.mppscdemo.in पर उपलब्ध कराए **Online Module** में प्रविष्टि कर **Upload** करेंगे।
4. अभिलेख **Upload** की अवधि दिनांक 04-11-2017 (दोपहर 12.00 बजे) से 04-12-2017 (रात्रि 12.00 बजे) तक रहेगी। जो अभ्यर्थी अंतिम तिथि तक **Online** विधि से अभिलेख प्रस्तुत नहीं करेंगे उनकी अभ्यर्थिता स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा इस संदर्भ में किसी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. डाक आदि से प्राप्त अभिलेख मान्य नहीं किए जाएंगे। अतः सभी प्रपत्र **Online** ही भरे जाना है तथा अभिलेख अपलोड किए जाना है।
6. मुख्य परीक्षा हेतु प्रावधिक अर्ह पाए अभ्यर्थी अपने अनुप्रमाणन फॉर्म एवं व्यक्तिगत विवरण फॉर्म ऑनलाईन आयोग की वेबसाइट www.mponline.gov.in, www.mppsc.com, www.mppsc.nic.in एवं www.mppscdemo.in पर दिनांक 04-12-2017 (रात्रि 12.00 बजे) तक भर सकेंगे। मुख्य परीक्षा हेतु प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थी अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण ऑनलाईन भरने के साथ ही निम्नानुसार प्रमाण-पत्रों की सत्यापित स्वप्रमाणित प्रति स्केन कर अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करेंगे-
 1. जन्मतिथि, 2. शैक्षणिक योग्यता, 3. जाति प्रमाण-पत्र, 4. मूल निवासी प्रमाण-पत्र, 5. निःशक्त अभ्यर्थी (PH) निःशक्तता प्रमाण-पत्र, 6. आधार कार्ड, 7. बैंक खाता विवरण के पृष्ठ की प्रति (SC/ST/OBC अभ्यर्थियों हेतु), 8. भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण-पत्र, 9. शासकीय सेवक, शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र, 10. अनापत्ति प्रमाण-पत्र, 11. अन्य प्रमाण-पत्र (यदि हो तो)।
7. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में दी गई जानकारी एवं अभिलेखों की मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् सूक्ष्म जांच/परीक्षण उपरांत सही पाई जाने पर ही आवेदक को साक्षात्कार की पात्रता होगी। मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अभ्यर्थी को उक्त वर्णित समस्त मूल अभिलेख सहित साक्षात्कार में उपस्थित होना है।
8. इस परीक्षा में सफल आवेदकों हेतु राज्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा-2017, इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर संभागीय मुख्यालयों स्थित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थियों की संख्या तथा प्रशासनिक कारणों से केन्द्रों की संख्या परिवर्तनशील रहेगी। प्रारम्भिक परीक्षा में सफल आवेदकों को मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरकर आवेदन एवं परीक्षा शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करना आवश्यक होगा। उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया का भुगतान अभ्यर्थी यथास्थिति **Netbanking/Credit card/Debit card** अथवा **Mponline** के कियोस्क पर नगद भुगतान द्वारा कर सकेगा। आवेदकों को मुख्य परीक्षा हेतु निम्नानुसार आवेदन एवं परीक्षा शुल्क देय होगा-

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त श्रेणी आवेदकों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क
रु. 400/-	रु. 800/-
अभ्यर्थी द्वारा स्वयं आवेदन करने पर रु. 100/- पोर्टल चार्ज	
कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर रु. 150/- पोर्टल चार्ज	

9. आवेदक ऑनलाईन आवेदन-पत्र में दिनांक 08-11-2017 से दिनांक 08-12-2017 तक त्रुटि सुधार भी कर सकेंगे। त्रुटि सुधार अवधि के पश्चात् आवेदन-पत्र में कोई सुधार नहीं किए जा सकेंगे। त्रुटि सुधार हेतु प्रति सुधार सत्र रु. 50/- देय होंगे जिन आवेदकों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु अंतिम तिथि तक ऑनलाईन आवेदन-पत्र नहीं भरे जायेंगे। राज्य अभियांत्रिकी सेवा (मुख्य) परीक्षा-2017 हेतु उनकी उम्मीदवारी स्वयंमेव समाप्त हो जाएगी एवं इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य न करते हुए उन्हें नस्तीबद्ध कर दिया जाएगा।
10. मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी अभ्यर्थियों को जो कहीं सेवारत न हों तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तथा पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हों मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में उल्लेखित वर्तमान पते के शहर/ग्राम से उन्हें आवंटित परीक्षा शहर तक आने-जाने के यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाईन पद्धति से अभ्यर्थी के बैंक खाते में किया जाएगा। अभ्यर्थियों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा-पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना होंगे :-
 - (1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
 - (2) यात्रा टिकट, जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गई तथा किराये की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो।
 - (3) बैंक खाता विवरण, खाता क्रमांक, बैंक का नाम तथा **IFSC** (आई.एफ.एस.सी.) सहित बैंक पासबुक की स्वप्रमाणित प्रति।
11. ऑनलाईन आवेदन भरने के संदर्भ में किसी भी जानकारी /शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाईन पर संपर्क करें।

दूरभाष-750-4019400

ई-मेल : mppsonline@gmail.com

राज्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा-2017 हेतु प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के रोल नंबर निम्नानुसार हैं :-

EXAMNAME : STATE ENGINEERING SERVICE EXAM-2017

POST NAME : CIVIL

EXAM DATE : 16th JULY, 2017

LIST OF ELIGIBLE CANDIDATES FOR WRITTEN MAIN EXAM—2017

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
1	100007	36	100221	71	100492	106	100859	141	101087
2	100017	37	100233	72	100501	107	100879	142	101090
3	100029	38	100241	73	100512	108	100882	143	101098
4	100046	39	100243	74	100519	109	100894	144	101113
5	100052	40	100244	75	100527	110	100895	145	101124
6	100056	41	100252	76	100529	111	100899	146	101136
7	100061	42	100261	77	100540	112	100903	147	101153
8	100068	43	100269	78	100543	113	100914	148	101155
9	100069	44	100270	79	100545	114	100920	149	101161
10	100071	45	100277	80	100558	115	100922	150	101170
11	100084	46	100281	81	100584	116	100940	151	101175
12	100085	47	100301	82	100586	117	100945	152	101185
13	100093	48	100313	83	100590	118	100948	153	101210
14	100099	49	100329	84	100603	119	100950	154	101239
15	100101	50	100350	85	100626	120	100964	155	101240
16	100102	51	100358	86	100635	121	100972	156	101242
17	100110	52	100364	87	100637	122	100974	157	101247
18	100113	53	100365	88	100652	123	100975	158	101250
19	100114	54	100375	89	100661	124	100981	159	101251
20	100115	55	100386	90	100673	125	100986	160	101253
21	100117	56	100389	91	100675	126	100996	161	101254
22	100126	57	100405	92	100680	127	100998	162	101259
23	100129	58	100428	93	100684	128	101001	163	101283
24	100133	59	100429	94	100686	129	101029	164	101284
25	100134	60	100437	95	100699	130	101030	165	101296
26	100140	61	100441	96	100715	131	101031	166	101297
27	100144	62	100450	97	100718	132	101037	167	101300
28	100150	63	100456	98	100726	133	101038	168	101301
29	100158	64	100462	99	100730	134	101052	169	101308
30	100161	65	100463	100	100735	135	101057	170	101315
31	100172	66	100466	101	100758	136	101058	171	101317
32	100193	67	100469	102	100790	137	101060	172	101323
33	100195	68	100472	103	100803	138	101063	173	101328
34	100214	69	100482	104	100836	139	101075	174	101342
35	100219	70	100491	105	100846	140	101082	175	101344

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
176	101349	216	101768	256	102281	296	102603	336	102913
177	101356	217	101788	257	102294	297	102620	337	102914
178	101383	218	101790	258	102296	298	102640	338	102915
179	101406	219	101823	259	102305	299	102660	339	102921
180	101409	220	101830	260	102313	300	102668	340	102924
181	101412	221	101855	261	102337	301	102679	341	102932
182	101418	222	101866	262	102347	302	102682	342	102944
183	101432	223	101899	263	102359	303	102693	343	102946
184	101439	224	101903	264	102391	304	102698	344	102956
185	101458	225	101921	265	102400	305	102714	345	102961
186	101462	226	101924	266	102401	306	102723	346	102962
187	101476	227	101939	267	102403	307	102726	347	102968
188	101511	228	101950	268	102404	308	102731	348	102975
189	101517	229	101971	269	102409	309	102736	349	102997
190	101539	230	101982	270	102418	310	102740	350	103000
191	101551	231	101983	271	102422	311	102743	351	103008
192	101573	232	101986	272	102428	312	102744	352	103022
193	101579	233	101995	273	102429	313	102746	353	103042
194	101585	234	102007	274	102443	314	102748	354	103043
195	101590	235	102025	275	102448	315	102750	355	103051
196	101594	236	102033	276	102455	316	102773	356	103059
197	101603	237	102034	277	102456	317	102776	357	103062
198	101608	238	102060	278	102463	318	102781	358	103065
199	101610	239	102072	279	102466	319	102783	359	103066
200	101616	240	102084	280	102475	320	102801	360	103070
201	101622	241	102097	281	102495	321	102818	361	103075
202	101634	242	102125	282	102497	322	102832	362	103078
203	101636	243	102136	283	102512	323	102834	363	103081
204	101642	244	102150	284	102520	324	102837	364	103082
205	101643	245	102152	285	102528	325	102839	365	103087
206	101651	246	102155	286	102540	326	102843	366	103092
207	101653	247	102158	287	102541	327	102848	367	103097
208	101665	248	102162	288	102550	328	102854	368	103098
209	101666	249	102167	289	102552	329	102872	369	103118
210	101669	250	102222	290	102566	330	102879	370	103121
211	101675	251	102238	291	102571	331	102887	371	103131
212	101703	252	102253	292	102578	332	102889	372	103140
213	101724	253	102271	293	102582	333	102891	373	103143
214	101746	254	102273	294	102588	334	102910	374	103158
215	101751	255	102274	295	102595	335	102912	375	103167

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
376	103173	416	103434	456	103716	496	104227	536	104566
377	103190	417	103443	457	103720	497	104230	537	104569
378	103195	418	103447	458	103725	498	104237	538	104570
379	103201	419	103457	459	103744	499	104252	539	104597
380	103202	420	103459	460	103766	500	104260	540	104599
381	103208	421	103463	461	103769	501	104291	541	104604
382	103217	422	103464	462	103791	502	104295	542	104609
383	103220	423	103468	463	103825	503	104304	543	104615
384	103222	424	103470	464	103862	504	104311	544	104622
385	103233	425	103475	465	103867	505	104312	545	104625
386	103234	426	103476	466	103878	506	104322	546	104626
387	103235	427	103490	467	103884	507	104329	547	104631
388	103245	428	103505	468	103915	508	104330	548	104636
389	103247	429	103516	469	103924	509	104333	549	104641
390	103249	430	103525	470	103932	510	104336	550	104648
391	103256	431	103537	471	103941	511	104337	551	104654
392	103266	432	103541	472	103942	512	104348	552	104658
393	103297	433	103551	473	103944	513	104349	553	104670
394	103305	434	103554	474	103950	514	104360	554	104673
395	103315	435	103559	475	103973	515	104363	555	104677
396	103316	436	103564	476	103975	516	104365	556	104678
397	103341	437	103570	477	103987	517	104368	557	104679
398	103344	438	103585	478	103995	518	104384	558	104691
399	103348	439	103588	479	104005	519	104389	559	104699
400	103357	440	103603	480	104048	520	104410	560	104708
401	103359	441	103607	481	104063	521	104420	561	104712
402	103365	442	103609	482	104077	522	104426	562	104713
403	103377	443	103621	483	104079	523	104444	563	104728
404	103379	444	103627	484	104108	524	104448	564	104729
405	103386	445	103645	485	104109	525	104454	565	104743
406	103388	446	103648	486	104118	526	104455	566	104763
407	103393	447	103658	487	104127	527	104459	567	104791
408	103402	448	103662	488	104154	528	104467	568	104792
409	103406	449	103671	489	104156	529	104474	569	104800
410	103409	450	103672	490	104174	530	104475	570	104809
411	103416	451	103680	491	104182	531	104491	571	104814
412	103422	452	103708	492	104183	532	104517	572	104834
413	103428	453	103709	493	104191	533	104535	573	104845
414	103430	454	103711	494	104197	534	104539	574	104851
415	103432	455	103714	495	104203	535	104559	575	104875

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
777	106743	817	107202	857	107756	897	108290	937	108677
778	106754	818	107222	858	107761	898	108303	938	108682
779	106758	819	107239	859	107772	899	108324	939	108683
780	106763	820	107258	860	107779	900	108325	940	108695
781	106782	821	107270	861	107786	901	108327	941	108698
782	106789	822	107271	862	107803	902	108351	942	108708
783	106794	823	107322	863	107809	903	108356	943	108730
784	106800	824	107333	864	107811	904	108364	944	108742
785	106806	825	107357	865	107827	905	108367	945	108747
786	106819	826	107365	866	107830	906	108380	946	108748
787	106823	827	107432	867	107851	907	108383	947	108750
788	106832	828	107435	868	107854	908	108392	948	108759
789	106833	829	107439	869	107858	909	108397	949	108764
790	106836	830	107452	870	107876	910	108417	950	108765
791	106862	831	107460	871	107888	911	108431	951	108769
792	106863	832	107481	872	107892	912	108453	952	108787
793	106879	833	107484	873	107895	913	108459	953	108797
794	106882	834	107499	874	107908	914	108463	954	108803
795	106884	835	107513	875	107932	915	108465	955	108824
796	106903	836	107522	876	107947	916	108467	956	108831
797	106930	837	107523	877	107954	917	108495	957	108858
798	106941	838	107546	878	107968	918	108506	958	108874
799	106960	839	107573	879	107972	919	108511	959	108879
800	106976	840	107575	880	107993	920	108520	960	108882
801	106982	841	107578	881	108000	921	108522	961	108906
802	106993	842	107591	882	108013	922	108532	962	108907
803	107004	843	107596	883	108055	923	108537	963	108929
804	107024	844	107603	884	108092	924	108542	964	108933
805	107030	845	107607	885	108096	925	108555	965	108962
806	107054	846	107608	886	108106	926	108565	966	108979
807	107068	847	107612	887	108114	927	108576	967	108998
808	107075	848	107614	888	108118	928	108583	968	109014
809	107096	849	107621	889	108125	929	108592	969	109016
810	107111	850	107651	890	108151	930	108595	970	109091
811	107123	851	107686	891	108183	931	108613	971	109114
812	107139	852	107687	892	108191	932	108616	972	109127
813	107164	853	107696	893	108200	933	108648	973	109133
814	107166	854	107714	894	108224	934	108663	974	109160
815	107178	855	107715	895	108235	935	108667	975	109201
816	107190	856	107734	896	108260	936	108676	976	109212

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
977	109219	1017	109857	1057	110328	1097	110682	1137	111088
978	109235	1018	109891	1058	110346	1098	110696	1138	111102
979	109237	1019	109900	1059	110355	1099	110722	1139	111103
980	109264	1020	109904	1060	110358	1100	110729	1140	111108
981	109301	1021	109918	1061	110397	1101	110739	1141	111123
982	109312	1022	109919	1062	110413	1102	110779	1142	111136
983	109313	1023	109928	1063	110421	1103	110790	1143	111144
984	109318	1024	109935	1064	110423	1104	110798	1144	111149
985	109339	1025	109936	1065	110424	1105	110801	1145	111162
986	109362	1026	109957	1066	110441	1106	110810	1146	111187
987	109364	1027	109964	1067	110446	1107	110824	1147	111192
988	109386	1028	109976	1068	110447	1108	110831	1148	111195
989	109400	1029	109989	1069	110453	1109	110841	1149	111211
990	109418	1030	109996	1070	110465	1110	110847	1150	111236
991	109426	1031	109999	1071	110489	1111	110891	1151	111249
992	109432	1032	110001	1072	110495	1112	110897	1152	111262
993	109437	1033	110002	1073	110498	1113	110901	1153	111265
994	109460	1034	110044	1074	110510	1114	110904	1154	111274
995	109473	1035	110066	1075	110511	1115	110914	1155	111294
996	109497	1036	110072	1076	110513	1116	110915	1156	111296
997	109500	1037	110087	1077	110519	1117	110922	1157	111301
998	109510	1038	110093	1078	110526	1118	110930	1158	111332
999	109556	1039	110097	1079	110538	1119	110931	1159	111333
1000	109569	1040	110099	1080	110547	1120	110941	1160	111335
1001	109585	1041	110108	1081	110551	1121	110947	1161	111349
1002	109589	1042	110144	1082	110560	1122	110952	1162	111365
1003	109612	1043	110155	1083	110569	1123	110955	1163	111369
1004	109618	1044	110156	1084	110580	1124	110959	1164	111370
1005	109659	1045	110167	1085	110588	1125	110970	1165	111371
1006	109686	1046	110177	1086	110590	1126	111001	1166	111376
1007	109705	1047	110185	1087	110598	1127	111013	1167	111399
1008	109720	1048	110186	1088	110599	1128	111020	1168	111455
1009	109721	1049	110189	1089	110610	1129	111028	1169	111469
1010	109730	1050	110202	1090	110617	1130	111043	1170	111497
1011	109739	1051	110225	1091	110619	1131	111058	1171	111518
1012	109743	1052	110234	1092	110641	1132	111062	1172	111535
1013	109755	1053	110245	1093	110654	1133	111067	1173	111537
1014	109773	1054	110285	1094	110655	1134	111079	1174	111539
1015	109830	1055	110300	1095	110661	1135	111080	1175	111557
1016	109834	1056	110301	1096	110677	1136	111085	1176	111559

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
1177	111570	1217	111884	1257	112352	1297	112753	1337	113177
1178	111571	1218	111905	1258	112356	1298	112766	1338	113185
1179	111594	1219	111910	1259	112374	1299	112809	1339	113186
1180	111596	1220	111923	1260	112389	1300	112811	1340	113189
1181	111604	1221	111926	1261	112390	1301	112821	1341	113190
1182	111620	1222	111939	1262	112397	1302	112835	1342	113191
1183	111626	1223	111991	1263	112398	1303	112844	1343	113194
1184	111638	1224	112025	1264	112414	1304	112849	1344	113196
1185	111643	1225	112038	1265	112415	1305	112859	1345	113219
1186	111655	1226	112039	1266	112417	1306	112862	1346	113220
1187	111656	1227	112063	1267	112422	1307	112892	1347	113238
1188	111666	1228	112080	1268	112426	1308	112893	1348	113239
1189	111679	1229	112083	1269	112434	1309	112927	1349	113263
1190	111701	1230	112085	1270	112435	1310	112936	1350	113265
1191	111705	1231	112093	1271	112452	1311	112952	1351	113310
1192	111712	1232	112141	1272	112467	1312	112959	1352	113315
1193	111717	1233	112152	1273	112471	1313	112961	1353	113323
1194	111741	1234	112155	1274	112477	1314	112968	1354	113336
1195	111743	1235	112158	1275	112489	1315	112976	1355	113337
1196	111749	1236	112162	1276	112496	1316	112977	1356	113343
1197	111768	1237	112164	1277	112511	1317	113003	1357	113347
1198	111770	1238	112177	1278	112512	1318	113016	1358	113352
1199	111789	1239	112178	1279	112516	1319	113030	1359	113364
1200	111791	1240	112194	1280	112522	1320	113038	1360	113383
1201	111796	1241	112208	1281	112527	1321	113053	1361	113395
1202	111803	1242	112222	1282	112548	1322	113064	1362	113407
1203	111814	1243	112225	1283	112560	1323	113081	1363	113416
1204	111816	1244	112251	1284	112582	1324	113103	1364	113417
1205	111823	1245	112258	1285	112585	1325	113108	1365	113419
1206	111827	1246	112260	1286	112588	1326	113112	1366	113447
1207	111831	1247	112264	1287	112592	1327	113120	1367	113450
1208	111834	1248	112269	1288	112596	1328	113126	1368	113461
1209	111837	1249	112273	1289	112597	1329	113128	1369	113473
1210	111843	1250	112289	1290	112598	1330	113137	1370	113479
1211	111849	1251	112314	1291	112601	1331	113149	1371	113510
1212	111852	1252	112326	1292	112648	1332	113152	1372	113520
1213	111862	1253	112327	1293	112651	1333	113162	1373	113523
1214	111863	1254	112335	1294	112662	1334	113169	1374	113524
1215	111868	1255	112336	1295	112747	1335	113171	1375	113550
1216	111872	1256	112351	1296	112750	1336	113173	1376	113553

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
1377	113558	1417	113844	1457	114154	1497	114430	1537	114726
1378	113563	1418	113846	1458	114155	1498	114437	1538	114729
1379	113564	1419	113863	1459	114157	1499	114438	1539	114751
1380	113565	1420	113867	1460	114161	1500	114455	1540	114767
1381	113566	1421	113872	1461	114171	1501	114467	1541	114772
1382	113593	1422	113873	1462	114176	1502	114477	1542	114777
1383	113597	1423	113887	1463	114177	1503	114488	1543	114778
1384	113606	1424	113891	1464	114201	1504	114489	1544	114787
1385	113607	1425	113909	1465	114205	1505	114490	1545	114791
1386	113608	1426	113910	1466	114209	1506	114501	1546	114798
1387	113620	1427	113927	1467	114215	1507	114505	1547	114802
1388	113621	1428	113929	1468	114224	1508	114514	1548	114816
1389	113629	1429	113933	1469	114232	1509	114519	1549	114831
1390	113641	1430	113945	1470	114235	1510	114523	1550	114849
1391	113645	1431	113957	1471	114246	1511	114533	1551	114856
1392	113647	1432	113966	1472	114263	1512	114539	1552	114886
1393	113656	1433	113975	1473	114283	1513	114541	1553	114888
1394	113661	1434	113977	1474	114285	1514	114544	1554	114910
1395	113665	1435	113982	1475	114287	1515	114545	1555	114932
1396	113699	1436	113993	1476	114291	1516	114566	1556	114935
1397	113705	1437	113994	1477	114293	1517	114579	1557	114941
1398	113727	1438	114000	1478	114298	1518	114580	1558	114960
1399	113731	1439	114002	1479	114310	1519	114591	1559	114965
1400	113739	1440	114006	1480	114312	1520	114610	1560	114977
1401	113745	1441	114013	1481	114328	1521	114622	1561	114993
1402	113747	1442	114024	1482	114335	1522	114632	1562	115005
1403	113748	1443	114036	1483	114349	1523	114637	1563	115030
1404	113755	1444	114037	1484	114354	1524	114643	1564	115041
1405	113756	1445	114040	1485	114355	1525	114646	1565	115043
1406	113759	1446	114042	1486	114368	1526	114648	1566	115044
1407	113769	1447	114047	1487	114379	1527	114657	1567	115045
1408	113771	1448	114048	1488	114389	1528	114667	1568	115068
1409	113773	1449	114076	1489	114404	1529	114669	1569	115088
1410	113778	1450	114077	1490	114405	1530	114687	1570	115100
1411	113781	1451	114079	1491	114406	1531	114702	1571	115118
1412	113808	1452	114093	1492	114414	1532	114711	1572	115121
1413	113809	1453	114109	1493	114420	1533	114717	1573	115125
1414	113820	1454	114112	1494	114423	1534	114718	1574	115144
1415	113834	1455	114118	1495	114425	1535	114723	1575	115167
1416	113837	1456	114128	1496	114428	1536	114724	1576	115184

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
1577	115212	1617	115557	1657	116027	1697	116479	1737	116867
1578	115221	1618	115560	1658	116062	1698	116485	1738	116883
1579	115224	1619	115566	1659	116067	1699	116488	1739	116884
1580	115227	1620	115582	1660	116070	1700	116503	1740	116887
1581	115232	1621	115592	1661	116073	1701	116504	1741	116892
1582	115236	1622	115608	1662	116077	1702	116512	1742	116921
1583	115242	1623	115609	1663	116100	1703	116513	1743	116943
1584	115253	1624	115634	1664	116102	1704	116515	1744	116949
1585	115266	1625	115635	1665	116120	1705	116520	1745	116954
1586	115276	1626	115652	1666	116131	1706	116523	1746	116955
1587	115282	1627	115665	1667	116132	1707	116529	1747	116969
1588	115294	1628	115692	1668	116152	1708	116530	1748	116991
1589	115296	1629	115715	1669	116153	1709	116539	1749	116992
1590	115297	1630	115745	1670	116195	1710	116551	1750	116994
1591	115299	1631	115750	1671	116196	1711	116553	1751	116998
1592	115321	1632	115766	1672	116197	1712	116570	1752	116999
1593	115323	1633	115782	1673	116210	1713	116584	1753	117000
1594	115336	1634	115786	1674	116226	1714	116595	1754	117002
1595	115344	1635	115794	1675	116229	1715	116601	1755	117005
1596	115354	1636	115797	1676	116238	1716	116602	1756	117006
1597	115358	1637	115798	1677	116240	1717	116610	1757	117008
1598	115363	1638	115805	1678	116247	1718	116613	1758	117013
1599	115364	1639	115815	1679	116281	1719	116626	1759	117015
1600	115365	1640	115826	1680	116286	1720	116630	1760	117030
1601	115379	1641	115833	1681	116290	1721	116634	1761	117035
1602	115399	1642	115862	1682	116294	1722	116664	1762	117039
1603	115411	1643	115868	1683	116320	1723	116685	1763	117041
1604	115418	1644	115893	1684	116374	1724	116703	1764	117044
1605	115422	1645	115898	1685	116375	1725	116705	1765	117050
1606	115436	1646	115904	1686	116381	1726	116725	1766	117053
1607	115453	1647	115910	1687	116384	1727	116747	1767	117057
1608	115463	1648	115914	1688	116387	1728	116767	1768	117060
1609	115475	1649	115936	1689	116390	1729	116778	1769	117065
1610	115492	1650	115944	1690	116397	1730	116788	1770	117069
1611	115499	1651	115949	1691	116404	1731	116798	1771	117070
1612	115512	1652	115951	1692	116412	1732	116800	1772	117072
1613	115514	1653	115955	1693	116424	1733	116801	1773	117073
1614	115530	16.54	115963	1694	116451	1734	116824	1774	117076
1615	115534	1655	115995	1695	116456	1735	116832	1775	117086
1616	115551	1656	116021	1696	116459	1736	116837	1776	117087

EXAMNAME : STATE ENGINEERING SERVICE EXAM-2017

POST NAME: ELECTRICAL

EXAM DATE: 16-JUL-2017

LIST OF ELIGIBLE CANDIDATES FOR WRITEN MAIN EXAM - 2017

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
1	100037	35	104007	69	107106	103	109710	137	112137
2	100125	36	104253	70	107215	104	109753	138	112277
3	100222	37	104573	71	107370	105	109814	139	112553
4	100240	38	104674	72	107457	106	109873	140	112652
5	100600	39	104682	73	107638	107	109927	141	112783
6	100778	40	104690	74	107642	108	110063	142	112974
7	100798	41	104788	75	107692	109	110069	143	113296
8	100828	42	104868	76	107744	110	110123	144	113547
9	100949	43	104919	77	107800	111	110179	145	114179
10	100962	44	105071	78	107805	112	110228	146	114307
11	101080	45	105163	79	107986	113	110554	147	114402
12	101163	46	105185	80	108099	114	110648	148	114443
13	101205	47	105227	81	108128	115	110649	149	114473
14	101211	48	105288	82	108264	116	110653	150	114658
15	101339	49	105394	83	108447	117	110680	151	114979
16	101358	50	105467	84	108480	118	110787	152	115017
17	101402	51	105810	85	108514	119	110840	153	115026
18	101450	52	105859	86	108598	120	111015	154	115257
19	102207	53	105861	87	108714	121	111078	155	115515
20	102354	54	105913	88	108753	122	111176	156	115623
21	102454	55	105974	89	108756	123	111228	157	115731
22	102667	56	106002	90	108837	124	111258	158	115747
23	102674	57	106180	91	108887	125	111357	159	115771
24	102710	58	106244	92	109003	126	111448	160	115817
25	102758	59	106428	93	109029	127	111515	161	115839
26	103105	60	106497	94	109173	128	111532	162	116126
27	103358	61	106547	95	109183	129	111541	163	116233
28	103563	62	106843	96	109209	130	111721	164	116250
29	103574	63	106849	97	109243	131	111748	165	116616
30	103723	64	106872	98	109300	132	111844	166	116632
31	103761	65	106906	99	109317	133	111876	167	116768
32	103785	66	106958	100	109322	134	111997	168	116951
33	103811	67	107007	101	109323	135	112028	169	117010
34	103948	68	107080	102	109333	136	112098		

EXAMNAME : STATE ENGINEERING SERVICE EXAM-2017

POST NAME: MECHANICAL

EXAM DATE: 16-JUL-2017

LIST OF ELIGIBLE CANDIDATES FOR WRITEN MAIN EXAM - 2017

S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.	S. No.	Roll No.
1	106097	7	110587	13	116496	19	114356	25	114332
2	100200	8	106577	14	112584	20	114053	26	114233
3	110751	9	108225	15	113675	21	117020	27	115714
4	116333	10	108825	16	109636	22	100107	28	116990
5	107665	11	102220	17	101278	23	116929	29	110241
6	112724	12	114919	18	103978	24	108881	30	110056

टीप:-

1. सूची में दर्शाए गए परीक्षा परिणाम पूर्णतः प्रावधिक हैं यदि प्रत्याशी राज्य अभियांत्रिकी सेवा प्रारंभिक ऑनलाईन परीक्षा-2017 के लिये अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो मुख्य परीक्षा के लिये उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जाएगी.
2. राज्य अभियांत्रिकी सेवा ऑनलाईन प्रारंभिक परीक्षा-2017 में अर्ह आवेदक आयोग की वेबसाईट www.mppscdemo.in, www.mppsc.com एवं www.mppsc.in पर परीक्षा परिणाम देख सकेंगे.
3. अर्ह आवेदक राज्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा-2017 में बैठने हेतु ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध है.
4. न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा.
5. आवेदन-पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा.
6. प्रावधिक अर्ह प्रत्याशियों की सूची आयोग की वेबसाईट www.mppscdemo.in, www.mppsc.com एवं www.mppsc.nic.in पर देखने के लिये उपलब्ध है. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिये आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी प्रत्याशियों की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी.
7. परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है, तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है.
8. राज्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा-2017 के समय प्रवेश-पत्र के साथ आवेदक अपना मूल पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लाएंगे. इसकी प्रतिदिन जाँच की जाएगी.

(1619-A)

दिनेश जैन,
परीक्षा नियंत्रक.

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, अनुविभाग पंधाना

प्र.क्र.01/बी-113/2016-17.

दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

जैसा कि मुकेश पटेल पिता भैयालाल पटेल, कार्यकारी न्यासी गुर्जर समाज मॉगलिक भवन न्यास, ग्राम पाचम्बा, तहसील पंधाना, जिला खण्डवा द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अंतर्गत कथित लोक न्यास के पंजीकरण के लिये अधिवक्ता श्री विजय चौधरी के माध्यम से आवेदन सह प्रारूप (न्यास का प्रारूप) प्रस्तुत किया है एतद्वारा सूचना दी जाती है कि, उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 14 नवम्बर, 2017 को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो वह इस विज्ञापित के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है. और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अधिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता :	रेवा गुर्जर समाज मॉगलिक भवन ग्राम पाचम्बा, तहसील पंधाना.
चल संपत्ति	: नगद राशि 1, 38, 000/- रु. एक लाख अड़तीस हजार मात्र.
अचल संपत्ति	: 1. समाज के वर्तन मूल्य 3,19,000/- रु. 2. गुर्जर समाज का भवन जो टिनशेड का बना है (जमीन का रकबा 0.10 हे), जिसका मूल्य 5,00,000/- रु. 3. अनुमानित वार्षिक आय 40,000/- रु. 4. अनुमानित वार्षिक व्यय 40,000/- रु.

हेमलता सोलंकी,

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(1617)

वनसंबन्धी घोष-विक्रय

इमारती, जलाऊ लकड़ी, व्यापारिक एवं औद्योगिक बॉस परिवहन समूहों हेतु

निविदा/नीलाम की सूचना बैतूल वन वृत्त बैतूल (मध्यप्रदेश)

सर्व-साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि, बैतूल वन वृत्त के अंतर्गत बैतूल उत्पादन वनमंडल के विभिन्न समूहों से संबंधित काष्ठागारों एवं बॉसागारों में इमारती, जाऊ लकड़ी, व्यापारिक एवं औद्योगिक बॉस के परिवहन करने के इच्छुक व्यक्तियों/पार्टियों से निविदायें, निर्धारित प्रारूप में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के नाम पर निम्नलिखित तिथियों में अपराह्न 02: 00 बजे दिन तक काष्ठागार बैतूल के नीलाम हॉल में निम्नानुसार दिनांक को आमंत्रित की जाती हैं. प्राप्त निविदा उसी दिन अपराह्न 03: 00 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष काष्ठागार बैतूल के नीलाम हॉल में खोली जावेगी.

प्रथम दौर निविदा दिनांक/दिन	द्वितीय दौर निविदा दिनांक/दिन	तृतीय दौर निविदा दिनांक/दिन	तृतीय दौर निविदा उपरांत दिनांक/दिन
09/11/2017 गुरुवार	15/11/2017 बुधवार	21/11/2017 मंगलवार	21/11/2017 मंगलवार

तृतीय दौर के पश्चात् शेष बचे समूहों का नीलाम द्वारा निर्वर्तन दिनांक 21 नवम्बर, 2017 दिन मंगलवार को अपराह्न 04:30 बजे से किया जावेगा. जिसमें सत्यंकार की राशि के रूप में रुपये 3,000/- (तीन हजार रुपये) बैंक ड्राफ्ट या डिपोजिट एट काल के रूप में लिये जायेंगे.

निर्धारित निविदा का प्रारूप (फार्म) निविदा शर्त एवं परिवहन समूहों से संबंधित जानकारी वनमंडलाधिकारी उत्पादन वनमंडल कार्यालय बैतूल से रुपये 100/- (एक सौ रुपये) की अदायगी करने पर प्राप्त की जा सकेंगी.

मध्यप्रदेश की विश्व प्रसिद्ध सागौन का उपयोग करें.

पी. एस. चंपावत,
मुख्य वनसंरक्षक
बैतूल.

(1618)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नीमच (म.प्र.)

क्रमांक/1583/नग्रानि/पूर्व.वि.यो.मन्दसौर/2017 नीमच, दिनांक 07 नवम्बर, 2017 द्वारा याह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा-15 की उपधारा (1) के अनुसरण में मन्दसौर निवेश क्षेत्र सीमा वृद्धि में सम्मिलित ग्राम

- उत्तर में : ग्राम धारियाखेडी, गुराडियादेदा, भून्याखेडी, बोलखेडा, रूपावली तथा जग्गाखेडी की पूर्वी सीमा तक.
- पूर्व में : ग्राम जग्गाखेडी, बोहराखेडी, अलावदाखेडी, बहादरी, चांगली, बाजखेडी तथा ग्राम छाजूखेडा की दक्षिणी सीमा तक.
- दक्षिण में : ग्राम छाजूखेडा, कायमखेडा, निपानिया, मेघराज, अजीजखेडी, खिलचीपुरा, नालछा तथा ग्राम मिर्जापुर की पश्चिमी सीमा तक.
- पश्चिम में : ग्राम मिर्जापुर, हैदरवास, दाऊदखेडी, दौलतपुर, मुल्तानपुरा, रलायता तथा ग्राम धारियाखेडी की उत्तरी सीमा तक.

के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र का प्रकाशन कर सर्व-साधारण से उनकी आपत्ति एवं सूझाव आमंत्रित किये गये तथा प्राप्त आपत्ति/सूझावों को उक्त अधिसूचना की धारा-15 की उपधारा (2) के अनुसरण में ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने आपत्ति/सूझाव प्रस्तुत किये गये हैं उन्हें सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर ऐसे उपान्तरण कर लिये गये हैं, जिन्हे वांछनीय समझा गया है.

अतः एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (3) के अधीन मन्दसौर निवेश के ग्रामों का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र तदनुसार सम्यंक रूप से दिनांक 02 नवम्बर, 2017 में पंजीकृत किया जाता है तथा उक्त अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (4) के अनुसरण में सूचना का मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजा जा रहा है. जो इस बात का साक्ष्य है, कि उक्त मानचित्र सम्यंक रूप से तैयार कर लिया गया है.

(1638)

एम. एल. वर्मा,
प्र. उप संचालक.

कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल

शहडोल, दिनांक 07 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत]

क्र./परि./2017/1255.-जिले में स्थित बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, चुनिया, शहडोल, पंजीयन क्रमांक 432, दिनांक 29 जुलाई, 1993 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत परिसमापित किया गया. उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आमसभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अतः मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, चुनिया, शहडोल, पंजीयन क्रमांक 432, दिनांक 29 जुलाई, 1993 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा यह भी आदेश देता हूँ कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कापोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1606-A)

बी. एस. परते,
उपायुक्त, सहकारिता.

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम-1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सहकारी समितियों जिनका पंजीयन क्र. व दिनांक निम्नानुसार है को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना द्वारा आदेश क्र./परिसमापन/2014/1202 मुरैना, दिनांक 22 जुलाई, 2014, 172 दिनांक 27 जनवरी, 2017 आदेशों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक
1	2	3
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिहोरी	580/23-02-1985
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उम्मेदगढवासी	644/20-03-1987
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टिकटोली	645/20-03-1987
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छैरा	579/22-12-1984
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सरसेनी	614/04-04-1986
6.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरौण्ड	615/04-04-1986
7.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुमावली	724/04-03-1988
8.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मई	743/24-03-1988
9.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धमकन	776/06-07-1988
10.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चैना	777/06-07-1988
11.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टुडीला	884/06-06-1989
12.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., किरावली	604/31-03-1986
13.	चर्मशोधन सहकारी संस्था मर्या., उत्तमपुरा, मुरैना	480/20-03-2081

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम-1962 के नियम-57 के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह में अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण, साहूकार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वहीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. साथ ही संस्थाओं के कर्मचारियों, पूर्व पदाधिकारियों तथा सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि उनके पास संस्था का कोई भी रिकार्ड, नगदी एवं अन्य सामान जो भी हो इस अवधि में मुझे कार्यालयीन समय में कार्यालय उपायुक्त सहकारिता जिला मुरैना में प्रस्तुत करें. अन्यथा की स्थिति में संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये समझे जावेंगे. यदि आवश्यक हुआ हो कार्यवाही भी की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 04 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(1607)

लोकेश शर्मा,
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम-1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सहकारी समितियों जिनका पंजीयन क्र. व दिनांक निम्नानुसार है को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना द्वारा पूर्व आदेशों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत

परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत विभाग के अधीन कर्मचारियों को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना के आदेश क्र./परि./2017/1022 मुरैना, दिनांक 5 जून, 2015 से पूर्व आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक
1	2	3
1.	ईट-भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भजपुरा, पोरसा	465/30-11-2000
2.	ईट-भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्या., सिहोरी	507/05-11-1981
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुँगावली	722/11-03-1988
4.	खदान उद्योग सहकारी संस्था मर्या., मानपुर भल्ला	1052/05-10-1995
5.	नारी कल्याण सहकारी संस्था मर्या., जौरा	545/30-10-1982
6.	शक्ति चलित सहकारी संस्था मर्या., लहुचुरा, कैलारस	299/17-08-1991
7.	जय दुर्गे फल, साग-भाजी सहकारी संस्था मर्या., जखोदा	1106/24-10-1996
8.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोथरकलां, पोरसा	652/30-03-1987
9.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धर्मगढ़, पोरसा	669/20-03-1987
10.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कीचोल, पोरसा	934/30-03-1991
11.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कसमड़ा, अंबाह	599/20-12-1987
12.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., विजयगढ़, अंबाह	653/20-03-1987
13.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खोडकिराईच्च, पोरसा	742/24-03-1988
14.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुकथरी, पोरसा	753/24-08-1988
15.	फल, साग-भाजी सहकारी संस्था मर्या., सिहोरी	893/19-07-1989

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम-1962 के नियम-57 के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह में अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण, साहूकार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वहीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. साथ ही संस्थाओं के कर्मचारियों, पूर्व पदाधिकारियों तथा सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि उनके पास संस्थाओं का कोई भी रिकार्ड, नगदी एवं अन्य सामान जो भी हो इस अवधि में मुझे कार्यालयीन समय में कार्यालय उपायुक्त सहकारिता जिला मुरैना में प्रस्तुत करें. अन्यथा की स्थिति में संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये समझे जावेंगे. यदि आवश्यक हुआ हो कार्यवाही भी की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(1607-A)

आर. एल. गुप्ता,
उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/2951.-नवयुवक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./103, 14 जुलाई, 1977 है,

को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 कार्यालयी आदेश क्रमांक परि./06/1591, दिनांक 12 मई, 2006 से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी एवं आदेश क्रमांक परि/1881, दिनांक 20 मई, 2011 से अधिनियम की धारा-18(1) के तहत उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त किया गया. जिसका प्रकाशन जिसका नोटिफिकेशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 03 जून, 2011 के अंक में कराया गया था.

न्यायालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, भोपाल, संभाग भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 80 (क)-11/2017 आवेदक श्री सुशील वासवानी के प्रकरण में पारित आदेश, दिनांक 14 सितम्बर, 2017 द्वारा अधिनियम की धारा-18 (1) के तहत पारित किया गया आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं होने का उल्लेख करते हुये उक्त कार्यवाहियों को निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं, जिससे संस्था पुनः परिसमापन की स्थिति/अस्तित्व में आ गई है.

अतः मैं, एम. एल. गजभिये, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त है का उपयोग करते हुए नवयुवक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./103, 14 जुलाई, 1977 को एतद्द्वारा परिसमापन के अस्तित्व में लाता हूँ तथा श्री बी. डी. भारवानी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के स्थान पर धारा-70(1) के अंतर्गत श्री डी. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप/सहायक, पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं यह भी आदेशित किया जाता है कि परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की शेष समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रतिशीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 22 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

एम. एल. गजभिये,
उप-रजिस्ट्रार.

(1608)

कार्यालय, परिसमापक नवयुवक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल

भोपाल, दिनांक 03 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./Q.-1—नवयुवक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, जिसका पंजीयन क्रमांक/D.R.B./103, दिनांक 14 जुलाई, 1977 है को उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के आदेश क्र./परिसमापन/2017/2951, दिनांक 22 सितम्बर, 2017 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो उनको प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुये संस्था को एतद्द्वारा पुनः परिसमापन के अस्तित्व में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद् सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 03 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

डी. के. गुप्ता,
परिसमापक.

(1609)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा)

राजगढ़, दिनांक 26 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2014/416, राजगढ़, दिनांक 06 मई, 2014 के द्वारा वेतन भोगी साख सहकारी संस्था मर्या., सुठालिया, तहसील ब्यावरा, जिला राजगढ़, जिसका पंजीयक क्रमांक 623, दिनांक 18 मार्च, 1997 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1610)

राजगढ़, दिनांक 26 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परिसमापन/2017/2073.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2014/417, राजगढ़, दिनांक 06 मई, 2014 के द्वारा साहूकारान सहकारी संस्था मर्या., ब्यावरा, तहसील ब्यावरा, जिला राजगढ़, जिसका पंजीयन क्रमांक 03, दिनांक 17 दिसम्बर, 1957 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

आर. एस. गौर,
उप-पंजीयक.

(1610-A)

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

देवास, दिनांक 24 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/2036.—कार्यालयीन आदेश क्र 361, दिनांक 03 मार्च, 2015 तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कानकुण्ड, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 534, दिनांक 11 नवम्बर, 1983 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री बी. एल. गोठवाल, सह. निरी. को संस्था को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1611)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्र. 1673, दिनांक 19 जून, 2012 इंदिरा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्या., पिपलरावा, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 102, दिनांक 25 जुलाई, 2002 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्रीमती प्रेरणा जाम्भेकर, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशांसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

(1611-A)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सतना

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2015/1212, सतना, दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 द्वारा माँ शारदा दुग्ध सहकारी समिति मर्या., करुआ, विकासखण्ड मैहर, जिला सतना को परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री नरेन्द्र सिंह, सह. निरी. द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, नरेश सिन्हा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1799-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये माँ शारदा दुग्ध सहकारी समिति मर्या., करुआ, विकासखण्ड मैहर, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 683, दिनांक 31 जनवरी, 2011 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1612)

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2016/833, सतना, दिनांक 01 जून, 2016 द्वारा महिला दुग्ध सहकारी समिति मर्या., रजहा, विकासखण्ड नागौद, जिला सतना को परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री राजेश श्रीवास्तव, सह. निरी. द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, नरेश सिन्हा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1799-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध सहकारी समिति मर्या., रजहा, विकासखण्ड नागौद, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 557, दिनांक 30 मार्च, 2009 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1612-A)

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2015/1212, सतना, दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 द्वारा पारस महिला दुग्ध सहकारी समिति मर्या., करौदीकाप, विकासखण्ड मैहर, जिला सतना को परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री नरेन्द्र सिंह, सह. निरी. द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, नरेश सिन्हा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1799-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये पारस महिला दुग्ध सहकारी समिति मर्या., करौदीकाप, विकासखण्ड मैहर, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 683, दिनांक 31 जनवरी, 2011 का पंजीयन निरस्त करता हूँ आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1612-B)

नरेश सिन्हा,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला भिण्ड

[मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां नियम, 1962 के नियम-57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों को जानकारी के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला भिण्ड के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियां जिनके आगे पंजीयन क्रमांक एवं परिसमापन आदेश दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लायी गई हैं तथा धारा-70 (1) के तहत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., परा	227/30-04-1970	667/12-06-2017
2.	मोचियान उद्योग सहकारी संस्था मर्या., अटेर	170/28-10-1963	667/12-06-2017
3.	तेल घानी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., अटेर	-	667/12-06-2017
4.	दाल-चावल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., मसूरी	8171/15-01-1966	667/12-06-2017
5.	चमत्कार चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., खड़ीत	7985/26-07-1977	667/12-06-2017
6.	चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., अटेर	7786/27-12-1978	667/12-06-2017
7.	शिव शक्ति तेल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., पाली पावई	419/21-06-1986	667/12-06-2017
8.	महिला सिलाई उद्योग सहकारी संस्था मर्या., अटेर	115/24-03-1979	667/12-06-2017
9.	भू. पूर्व सै. ईट-भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्या., चोम्हों	6236/07-10-1968	667/12-06-2017
10.	बुनकर सहकारी संस्था मर्या., अटेर	4539/12-11-1956	667/12-06-2017
11.	बुनकर सहकारी संस्था मर्या., सोई	497/19-04-1986	667/12-06-2017
12.	बुनकर सहकारी संस्था मर्या., लाड़मपुरा	273/19-11-1976	667/12-06-2017
13.	बुनकर सहकारी संस्था मर्या., उदोतगढ़	294/18-04-1980	667/12-06-2017
14.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बड़ापुरा	854/17-10-2002	667/12-06-2017

1	2	3	4
15.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मोधना	857/27-11-2002	667/12-06-2017
16.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., अतरसुमा	875/25-12-2003	667/12-06-2017
17.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., खरे का पुरा	745/15-09-2006	667/12-06-2017
18.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गुमारा	777/05-08-1999	667/12-06-2017
19.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., परा	758/04-08-1999	667/12-06-2017
20.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सराया	928/30-12-2005	667/12-06-2017
21.	जय दुर्गे महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., विछौली	932/11-01-2006	667/12-06-2017
22.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कनेरा	948/10-07-2006	667/12-06-2017
23.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सुरपुरा	949/22-12-2008	667/12-06-2017
24.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., अटेर	890/17-10-2004	667/12-06-2017
25.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., खैरा श्यामपुरा	924/11-11-2005	667/12-06-2017
26.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सुरपुरा	38/13-05-2003	667/12-06-2017
27.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मधैयापुरा	45/18-08-2003	667/12-06-2017
28.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सिहुड़ा	124/16-04-2009	667/12-06-2017
29.	चंबल उद्बहन सिंचाई सहकारी संस्था मर्या., अटेर	291/21-11-2004	667/12-06-2017
30.	शंकर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चौकी	698/06-12-2004	667/12-06-2017
31.	मातेश्वरी फल-फूल, साग-सब्जी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खड्डी	25/26-11-2002	667/12-06-2017
32.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्थाएं मर्या., जवासा	501/16-03-1988	667/12-06-2017
33.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्थाएं मर्या., मसूरी	656/04-05-1982	667/12-06-2017
34.	प्राथमिक यातायात सहकारी संस्था मर्या., सालिंग पुरा	709/23-02-1995	667/12-06-2017
35.	साधना स्व-सहायता साख सहकारिता, रिदौली	923/25-10-2005	667/12-06-2017
36.	सेन्ट्रल स्वा. साख सहकारिता, अटेर	187/09-06-2010	667/12-06-2017
37.	स्वामी विवेकानन्द स्वा. साख सहकारिता, बसवाय का पुरा	189/26-06-2010	667/12-06-2017
38.	अपना घर, अपना दफ्तर स्वा. साख सहकारिता, सुरपुरा	193/24-03-2011	667/12-06-2017
39.	दि ऑरियन्टल स्वा. साख सहकारिता, अटेर	195/09-06-2011	667/12-06-2017
40.	ग्रामीण साख स्वा. साख सहकारिता, सुरपुरा	196/10-06-2011	667/12-06-2017

अतः मैं, सुरेश सिंह, स. नि. एवं परिसमापक, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी समिति नियम, 1962 के नियम 57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिये प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो, तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के भीतर अपने दावे एवं आपत्तियां प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला भिण्ड (जिला पंचायत परिसर) में प्रस्तुत करें उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वरूप के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी. उपलब्ध रिकार्ड (ऑडिट नोट) के अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं का पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों/पदाधिकारियों, व्यक्तियों के पास उक्त समितियों के संबंध में कोई लेखापुस्तकें, रिकार्ड, रोकड वही एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 2 माह के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा करें अन्यथा अवधि समाप्त होने पर किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुई तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी।

आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई।

(1613)

सुरेश सिंह,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

निम्नलिखित सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रालामंडल	895/24-04-2000	1441/09-08-2017

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

(1615)

कृष्णा पथरोड,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 14 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) एवं 53(12) के अंतर्गत]

क्र./उपछि/परि./2017/3024.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उपछि/परिसमापन/2015/631, दिनांक 23 मार्च, 2015 के द्वारा दुग्ध सहकारी समिति मर्या., मरकावाडा (जिसे आगे सोसायटी कहा गया है) पंजीयन क्रमांक/डी.आर./सी.डब्ल्यू.ए/724, दिनांक 21 मई, 2010 को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई है। वर्तमान परिसमापक श्री आर. एन. डेहरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, अमरवाड़ा द्वारा उक्त सोसायटी को पुनर्जीवित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

सोसायटी के सदस्यों ने दिनांक 29 अगस्त, 2017 को आयोजित विशेष आमसभा में सोसायटी एवं सदस्य हित में सोसायटी को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया है, इस आधार पर सोसायटी के परिसमापक श्री आर. एन. डेहरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी अमरवाड़ा ने अपने प्रतिवेदन में सोसायटी को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की है।

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी समितियों अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापन में लाने एवं परिसमापक की नियुक्ति के कार्यालयीन आदेश क्र./उपछि/परिसमापन/1526, दिनांक 05 मई, 2016 को निरस्त करता हूँ एवं विशेष आमसभा में लिये गये निर्णय अनुसार अस्थाई प्रबंधकारिणी नामांकित कमेटी को ही निर्वाचन सम्पन्न होने तक नामांकित करता हूँ जो निम्नानुसार है:-

1.	श्री चैतराम कुमरे	अध्यक्ष
2.	श्री लक्ष्मण प्रसाद सनोडिया	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमति कौशलबाई उईके	उपाध्यक्ष
4.	श्रीमति निर्मला सतनामी	संचालक
5.	श्रीमति रेखा साहू	संचालक
6.	श्रीमति दीप्ती श्रीवास्तव	संचालक
7.	श्री विवेक जैन	संचालक
8.	श्री सोहनलाल चंद्रवंशी	संचालक
9.	श्री हंसलाल यूरकरे	संचालक

उक्त नामांकित कमेटी तीन माह की अवधि में निर्वाचन करवाकर नवनिर्वाचित कमेटी की सूचना इस कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेगी.

यह आदेश आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

जी. एस. डेहरिया,
उप पंजीयक.

(1621)

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर

महिला प्राथमिक मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर पंजीयन क्रमांक ए. आर./जी.डब्ल्यू.आर./281, दिनांक 21 अक्टूबर, 2000 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2016/964, दिनांक 21 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री बी. एल. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक ग्वालियर द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशांसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला प्राथमिक मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(1620)

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरई पंजीयन क्रमांक ए. आर./जी.डब्ल्यू.आर./1538, दिनांक 31 मार्च, 1990 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2002/1672, दिनांक 17 जुलाई, 2002 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री अजय दुवे, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशांसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरई का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(1620-A)

तिलहन सहकारी संस्था मर्या., ऐटापा, जिला ग्वालियर पंजीयन क्रमांक ए. आर./जी.डब्ल्यू.आर./325, दिनांक 25 अगस्त, 1990 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./.....06 जुलाई, 2006 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री जी. एस. कुशवाह, सहकारी निरीक्षक,

ग्वालियर द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशांसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन सहकारी संस्था मर्या., ऐटापा, जिला ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(1620-B)

मणीधारी दादा जैन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर पंजीयन क्रमांक ए. आर./जी.डब्लू.आर./308, दिनांक 18 जुलाई, 2002 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./....., दिनांक 27 मार्च, 2012 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक श्री भूपेन्द्रपाल सिंह, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशांसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मणीधारी दादा जैन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(1620-C)

स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर पंजीयन क्रमांक ए. आर./जी.डब्लू.आर./73, दिनांक 19 दिसम्बर, 1978 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1100, दिनांक 29 जून, 2010 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशांसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(1620-D)

जय बमरौली हनुमान खनिज सहकारी संस्था मर्या., चाँदपुर, जिला ग्वालियर पंजीयन क्रमांक ए. आर./जी.डब्लू.आर./565, दिनांक 09 अगस्त, 1991 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./..... दिनांक 22 अप्रैल, 1994 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक श्री एस. एम. ए. जैदी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, डबरा, ग्वालियर द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशांसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जय बमरौली हनुमान खनिज सहकारी संस्था मर्या., चाँदपुर, जिला ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(1620-E)

शासकीय वेतन भोगी कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर पंजीयन क्रमांक ए. आर./जी.डब्लू.आर./359, दिनांक 20 जनवरी, 1969 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./430/17 मार्च, 2015 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक श्री आर. डी. पचौरिया, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशांसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शासकीय वेतन भोगी कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(1620-F)

वाला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर पंजीयन क्रमांक ए. आर./जी.डब्लू.आर./332, दिनांक 27 जनवरी, 2003 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./717/23 मई, 2017 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री ओ. पी. पाठक, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वाला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, सहकारी संस्था मर्या., घाटीगांव, जिला ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(1620-G)

अनुसूचित जनजाति कारीगरों की सहकारी संस्था मर्या., आरौन, जिला ग्वालियर पंजीयन क्रमांक ए. आर./जी.डब्लू.आर./709, दिनांक 02 जुलाई, 1994 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1980/21 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री अजय दुवे, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अनुसूचित जनजाति कारीगरों की सहकारी संस्था मर्या., आरौन, जिला ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(1620-H)

महाराजा अग्रसैन साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर पंजीयन क्रमांक ए. आर./जी.डब्लू.आर./804, दिनांक 30 जून, 1995 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1086/30 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री राजीव रुपौलिया, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये महाराजा अग्रसैन साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिला ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(1620-I)

शीतला सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., जौरासी, जिला ग्वालियर पंजीयन क्रमांक ए. आर./जी.डब्लू.आर./259, दिनांक 15 जनवरी, 1969 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1923 दिनांक 09 दिसम्बर, 1994 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एस. एम. ए. जैदी, सहकारिता विस्तार अधिकारी डबरा, ग्वालियर द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शीतला सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., जौरासी, जिला ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(1620-J)

साग-सब्जी, फल-फूल उत्पादक एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या., मधुवन हजीरा, जिला ग्वालियर पंजीयन क्रमांक ए. आर./जी. डब्लू.आर./199, दिनांक 06 नवम्बर, 2001 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./....., दिनांक 30 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री जी. एस. कुशवाह, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये साग-सब्जी, फल-फूल उत्पादक एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या., मधुवन हजीरा, जिला ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(1620-K)

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घाटीगाँव, जिला ग्वालियर पंजीयन क्रमांक ए. आर./जी.डब्लू.आर./496, दिनांक 31 मार्च, 1989 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1844, दिनांक 31 सितम्बर, 2017 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री राजीव रुपौलिया, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घाटीगाँव, जिला ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(1620-L)

अनुभा सूद,
उप पंजीयक.

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, बालाघाट

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत]

क्र./उपंबा./परि./2017.—आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या., हीरापुर, पंजीयन क्रमांक 878, दिनांक 18 फरवरी, 2014, विकासखण्ड कटंगी को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंबा./परि./2016/1026 बालाघाट, दिनांक 04-07-2016 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री पी. आर. डोंगरे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कटंगी को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक की अध्यक्षता में विशेष आमसभा दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 को आहुत की गई थी. जिसमें समिति को परिसमापन से बहाल किये जाने का निर्णय लिया गया है.

आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या., हीरापुर की विशेष आमसभा दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 में लिये गये निर्णय एवं परिसमापक के प्रतिवेदन के परिपेक्ष्य में मेरी राय में निम्न कारणों से:-

1. दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 की विशेष आमसभा में उपस्थित 23 सदस्यों ने समिति को परिसमापन से पुनर्जीवित किये जाने का निर्णय पारित किया गया है, और व समिति को कार्यशील कराना चाहते हैं.
2. प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार समिति के समस्त सदस्य कार्य करने के उत्सुक हैं, मत्स्याखेट उनके परिवार के जीविका का प्रमुख साधन हैं. संस्था के पास कार्यक्षेत्र के 7 तालाबों का पट्टाधिकार प्राप्त है. संस्था को कार्यक्षेत्र के तालाब पट्टा पर न मिलने के कारण अकार्यशील पाये जाने से परिसमापन में लाया गया था. संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रमाण से समिति वर्तमान क्रियाशील होने की पुष्टि होती है. समिति का मुख्य उद्देश्य मत्स्याखेट कर व्यवसाय करना है, उद्देश्य रोजगारोन्मुखी तथा परम्परागत व्यवसाय हैं.

उपरोक्त कारणों से परिसमापक की अनुशंसा से सहमत होते हुये समिति को एक अवसर प्रदाय किया जाना संस्था एवं सदस्यों के हित में होने से समिति का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, "ए. के. दुबे" सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बालाघाट मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के प्रावधानों के तहत आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या., हीरापुर, पंजीयन क्रमांक 878, दिनांक 18 फरवरी, 2014 के परिसमापन संबंधी आदेश क्रमांक/परि./16/1026, दिनांक 04 जुलाई, 2016 को निरस्त करते हुये समिति के संचालक मण्डल को पुनर्स्थापित करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1622)

ए. के. दुबे,
उप पंजीयक/सहायक पंजीयक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक सहकारिता, जिला होशंगाबाद

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57-सी के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी हेतु यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपायुक्त सहकारिता, जिला होशंगाबाद के आदेश क्र/परि./2017/1195, दिनांक 06 मई, 2017 के द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	सहकारी समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., इकलामी	3206/11-06-2015	1195/06-05-2017
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पतलईकलॉ	3107/20-05-2014	1196/06-05-2017
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सोनखेडी	3201/09-06-2015	1197/06-05-2017
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लोहारियाकलॉ	3141/16-10-2014	1198/06-05-2017
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पडरईठाकुर	3193/25-05-2015	1201/06-05-2017
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धापडाकलॉ	3144/28-11-2014	1204/06-05-2017
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., आमूपुरा	3207/11-06-2015	1205/06-05-2017
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गाजनपूर	3205/09-06-2015	1203/06-05-2017
9.	दुर्गा मत्स्य सहकारी समिति, करनपुर	3164/16-02-2015	1202/06-05-2017
10.	माँ मेकलसुता जैविक खाद्य उत्पादक, डोलरिया	3154/09-02-2015	1199/06-05-2017
11.	देनवा मत्स्य सहकारी समिति, कोटगाँव	3213/06-12-2015	1200/06-05-2017

अतः मैं, उदयभान सिंह वर्मा, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (17वां) सन् 1961 की धारा-71 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र 57 सी के अनुसार यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त समितियों के विरुद्ध जो भी लेनदारी एवं ऋण देना बकाया निकलता हो, प्रमाण सहित अपने दावे यदि कोई हो तो इस सूचना प्रसारण के दो माह की अवधि में मेरे कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि के पश्चात् प्रस्तुत दावों पर कोई उजरदारी मान्य नहीं होगी एवं समितियों के उपलब्ध लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त लेनदेन एवं दायित्वों को उक्त उल्लेखित विधान एवं नियमों के अंतर्गत परिसमापक को विधिवत प्रस्तुत किया गया ऐसा समझा जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि उपरोक्त लिखित सहकारी समितियों से संबंधित कोई भी कागजात, सामान, देनदारियाँ आदि किसी भी व्यक्ति के पास हो, तो वे इस सूचना प्रकाशित होने की दिनांक से एक सप्ताह के अंदर उल्लेखित कार्यालय में मेरे पास जमा कर दें. समयावधि के भीतर कागजात व सामान जमा न करने पर वे जुर्म के भागीदारी होंगे.

उदयभान सिंह वर्मा,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(1623)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियाँ, जिला खरगौन

दिनांक 30 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत]

क्र./परि./क्यू/2017.—उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला खरगौन द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत निम्नलिखित संस्था के सम्मुख अंकित आदेश से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत

अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	वि. खण्ड	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	वैष्णोदेवी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सिनखेड़ी.	1060/27-08-2016	1572/21-07-2009	संगांव	महेन्द्र ठाकुर

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्था के समस्त दावेदारों को एतद् द्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन में कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेडस्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण पंजीयन कक्ष से प्राप्त दस्तावेज एवं गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 05 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

महेन्द्र ठाकुर,

(1624)

परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक.

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, जिला सागर

सागर, दिनांक 27 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1921.—दाउद ऑफसेट प्रा. सहकारी मुद्रणालय मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्र. 132, दिनांक 05 मार्च, 2003 है. कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/731, दिनांक 14 अप्रैल, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. श्री एन. के. खरे, सहकारी निरीक्षक, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये. दाउद ऑफसेट प्रा. सहकारी मुद्रणालय मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्र. 132, दिनांक 05 मार्च, 2003 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट), इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1625)

सागर, दिनांक 27 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1922.—बहुउद्देशीय जल संसाधन एवं विकास सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्र. 714, दिनांक 17 अक्टूबर, 1997 है. कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/275, दिनांक 13 फरवरी, 2017 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. श्री एन. के. खरे, सहकारी निरीक्षक, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये. बहुउद्देशीय जल संसाधन एवं विकास सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्र. 714, दिनांक 17 अक्टूबर, 1997 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट), इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1626)

पी. आर. कावड़कर,
उप-रजिस्ट्रार.

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 24 अक्टूबर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

डॉ भीमराव अम्बेडकर बुनकर सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज, जिला विदिशा पंजीयन दिनांक से निर्वाचन कराने एवं उपविधि अनुसार अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है. संस्था की अंकेक्षण टीपों से यह निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है एवं अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में पंजीयन दिनांक से ही असफल रही है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-1-99/पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये. मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा. डॉ. भीमराव अम्बेडकर बुनकर सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही. डी. एस./793, दिनांक 18 जून, 2012 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 को जारी करता हूँ

(1627)

विदिशा, दिनांक 28 अक्टूबर, 2017

क्र./परि./2017/1566.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/769, दिनांक 24 जून, 2016 से मुर्गी पालन सहकारी संस्था मर्यादित, बरखेड़ाजागीर, तहसील नटेरन, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./778, दिनांक 21 मार्च, 2011 को परिसमापन में लाया जाकर श्री एम. एस. भदौरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, नटेरन को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा मुर्गी पालन सहकारी संस्था मर्यादित, बरखेड़ाजागीर, तहसील नटेरन, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है.

मैं समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-1-99/एक पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुर्गी पालन सहकारी संस्था मर्यादित, बरखेड़ाजागीर, तहसील नटेरन, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./778, दिनांक 21 मार्च, 2011 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बाँडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1628)

विदिशा, दिनांक 28 अक्टूबर, 2017

क्र./परि./2017/1567.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/634, दिनांक 11 मई, 2016 से महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, रतबा जागीर, पोस्ट डंगरवाडा, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./786, दिनांक 25 फरवरी, 2012 को परिसमापन में लाया जाकर श्री एम. एस. भदौरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, नटेरन को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, रतबा जागीर, पोस्ट डंगरवाडा, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है.

मैं समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ/5-1-99/एक पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, रतबा जागीर, पोस्ट डंगरवाडा, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./786, दिनांक 25 फरवरी, 2012 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1629)

विदिशा, दिनांक 28 अक्टूबर, 2017

क्र./परि./2017/1568.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/770, दिनांक 24 जून, 2016 से जयश्री प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, शमशाबाद, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./750, दिनांक 26 अक्टूबर, 2009 को परिसमापन में लाया जाकर श्री एम. एस. भदौरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, नटेरन को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा जयश्री प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, शमशाबाद, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है.

मैं समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ/5-1-99/एक पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जयश्री प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, शमशाबाद, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./750, दिनांक 26 अक्टूबर, 2009 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1630)

विदिशा, दिनांक 28 अक्टूबर, 2017

क्र./परि./2017/1569.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/743, दिनांक 09 जून, 2016 से प्रकाश जैनेटिक बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, शमशाबाद, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./984, दिनांक 14 जनवरी, 2015 को परिसमापन में लाया जाकर श्री एम. एस. भदौरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, नटेरन को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा प्रकाश जैनेटिक बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, शमशाबाद, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है.

मैं समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ/5-1-99/एक पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999

के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रकाश जैनेटिक बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, शमशाबाद, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./984, दिनांक 14 जनवरी, 2015 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बाँडी-कापोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1631)

विदिशा, दिनांक 28 अक्टूबर, 2017

क्र./परि./2017/1570.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/635, दिनांक 11 मई, 2016 से महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, थाना, पोस्ट सांगुल, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./788, दिनांक 25 फरवरी, 2012 को परिसमापन में लाया जाकर श्री एम. एस. भदौरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, नटेरन को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, थाना, पोस्ट सांगुल, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है।

मैं समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ/5-1-99/एक पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, थाना पोस्ट सांगुल, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./788, दिनांक 25 फरवरी, 2012 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बाडी-कापोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1632)

विदिशा, दिनांक 28 अक्टूबर, 2017

क्र./परि./2017/1571.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/600, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 से श्री सिद्धबाबा हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, जम्बार, पोस्ट इमलिया व जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./421, दिनांक 13 मार्च, 1992 को परिसमापन में लाया जाकर श्री एफ. एस. राय, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विदिशा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा श्री सिद्धबाबा हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, जम्बार, पोस्ट इमलिया व जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है।

मैं समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ/5-1-99/एक पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सिद्धबाबा हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, जम्बार, पोस्ट इमलिया व जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./421, दिनांक 13 मार्च, 1992 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बाँडी-कापोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1633)

विदिशा, दिनांक 28 अक्टूबर, 2017

क्र./परि./2017/1572.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/1218, दिनांक 03 दिसम्बर, 2015 से रोगी कल्याण एवं उत्थान बहुउद्देशीय साख सहकारिता मर्यादित, विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./19, दिनांक 25 जून, 2002 को परिसमापन में लाया जाकर श्री एफ. एस. राय, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विदिशा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा रोगी कल्याण एवं उत्थान बहुउद्देशीय साख सहकारिता मर्यादित, विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है।

मैं समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ/5-1-99/एक पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रोगी कल्याण एवं उत्थान बहुउद्देशीय साख सहकारिता मर्यादित, विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ ए.आर./व्ही. डी. एस./19, दिनांक 25 जून, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1634)

ए. के. सिंह,
उप-पंजीयक.

कार्यालय परिसमापक, महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., फुलीपुरा, जिला शिवपुरी

दिनांक 09 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., फुलीपुरा, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 743, दिनांक 01 मार्च 2017 है को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1920, दिनांक 24 जुलाई, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

आज दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई।

(1586)

कार्यालय परिसमापक, महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., बड़ोरा, जिला शिवपुरी

दिनांक 09 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., बड़ोरा, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 744, दिनांक 01 मार्च 2017 है को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1921A, दिनांक 24 जुलाई, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

आज दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई।

(1586-A)

कार्यालय परिसमापक, महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., देवरीखुर्द, जिला शिवपुरी

दिनांक 09 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., देवरीखुर्द, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 750, दिनांक 26 अप्रैल 2017 है को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1922, दिनांक 24 जुलाई, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(1586-B)

कार्यालय परिसमापक, महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., गोधारी, जिला शिवपुरी

दिनांक 09 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., गोधारी, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 751, दिनांक 26 अप्रैल 2017 है को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1923, दिनांक 24 जुलाई, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(1586-C)

कार्यालय परिसमापक, महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., देवरी, जिला शिवपुरी

दिनांक 09 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., देवरी, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 752, दिनांक 26 अप्रैल 2017 है को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1924, दिनांक 24 जुलाई, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(1586-D)

कार्यालय परिसमापक, साईं कृपा प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., करैरा, जिला शिवपुरी

दिनांक 09 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

साईं कृपा प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., करैरा, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 745, दिनांकहै को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1968, दिनांक 24 जुलाई, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(1586-E)

कार्यालय परिसमापक, वस्त्र श्रवणकलां उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भटनावर, जिला शिवपुरी

दिनांक 09 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

वस्त्र श्रवणकलां उद्योग सहकारी संस्था मर्या., भटनावर, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 270, दिनांक 07 जनवरी, 1956 है को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 2178, दिनांक 17 अगस्त, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(1586-F)

कार्यालय परिसमापक, मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., बूड़ीबरोद, जिला शिवपुरी

दिनांक 09 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., बूड़ीबरोद, तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 539, दिनांक 21 सितम्बर, 2007 है को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 2180, दिनांक 17 अगस्त, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(1586-G)

आर. एन. गुप्ता,
परिसमापक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 नवम्बर, 2017-कार्तिक 26, शके 1939

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 31 मई, 2017

1. **मौसम एवं वर्षा.**-राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि.मी. तक- तहसील अम्बाह, पोरसा, मुरैना, जौरा, सबलगढ़, कैलारस (मुरैना), कराहल, विजयपुर (श्योपुर), रौन-मिहोना (भिण्ड), शिवपुरी, पिछोर, खनियांधाना, कोलारस (शिवपुरी), अजयगढ़, गुन्नोर, पवई (पन्ना), बड़ा, सागर, रहली, राहतगढ़, मालथोन (सागर), दमोह, जबेरा (दमोह), रघुराजनगर, नागोद, मैहर (सतना), गोपदवनास, रामपुरनैकिन (सीधी), धुन्धड़का, संजीत (मंदसौर), तराना, घटिया, उज्जैन, बड़नगर, नागदा (उज्जैन), शुजालपुर (शाजापुर), जीरापुर, खिलचीपुर, ब्यावरा (राजगढ़), रायसेन, बरेली, सिलवानी, बाड़ी, उदयपुरा (रायसेन), सीहोरा, पाटन, मंझोली (जबलपुर), निवास, बिछिया, घुघरी (मण्डला), छिन्दवाड़ा, जुन्नारदेव, तामिया, पांढुर्ना, अमरवाड़ा, चांद, उमरेठ, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि.मी. तक- तहसील श्योपुर (श्योपुर), लहार (भिण्ड) नरवर, पोहरी (शिवपुरी), ईसागढ़, चंदेरी (अशोकनगर), पन्ना (पन्ना), बीना, देवरी, गढ़ाकोटा (सागर), मल्हारगढ़, मंदसौर (मंदसौर), महिदपुर (उज्जैन), कालापीपल (शाजापुर), सारंगपुर (राजगढ़) जबलपुर, कुण्डम (जबलपुर), चौरई (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि.मी. तक- तहसील करेरा (शिवपुरी), खुरई, केसली (सागर), पचोर (राजगढ़), बेगमगंज (रायसेन), मंडला (मंडला), सोंसर (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 से 244.9 मि.मी. तक- तहसील मुंगावली, अशोकनगर (अशोकनगर), खाचरौद (उज्जैन), गुलाना (शाजापुर), राजगढ़ (राजगढ़), नैनपुर (मण्डला) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**- जिला ग्वालियर, पन्ना, दमोह, शाजापुर, खरगौन व सीहोर में जुताई व रोपाई कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**- जिला ग्वालियर, शाजापुर व खण्डवा में खरीफ फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति-**

5. **कटाई.**- जिला पन्ना में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**- जिला ग्वालियर, सागर, शहडोल, नीमच, झाबुआ, बड़वानी व सीहोर में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
7. **पशुओं की स्थिति.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.
8. **चारा.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
9. **बीज.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
10. **खेतिहर श्रमिक.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 31 मई, 2017

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि.मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	5.0				
2. पोरसा	4.0				
3. मुरैना	16.0				
4. जौरा	5.0				
5. सबलगाढ़	17.0				
6. कैलारस	12.0				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	20.0				
2. कराहल	8.0				
3. विजयपुर	8.0				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	. .				
2. भिण्ड	. .				
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	24.2				
6. मिहोना } 7. रौन }	6.0				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .				
2. डबरा	. .				
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, जौ, मसूर, सरसों, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	. .				
2. दतिया	. .				
3. भाण्डेर	. .				
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	13.0				
2. पिछौर	2.0				
3. खनियाधाना	7.0				
4. नरवर	22.0				
5. करैरा	40.0				
6. कोलारस	13.0				
7. पोहरी	28.0				
8. बदरवास	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुँगावली	80.0		4. (1) उडुद, मक्का, गेहूँ, चना	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	26.0		अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम.	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	56.0		(2) ..		
4. चन्देरी	19.0				
5. शाढौरा	..				
8. *जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गुना	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. राघोगढ़	..		(2) ..		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) चना, राई-सरसों, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		गेहूँ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लवकुश नगर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बक्सवाहा	..				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई व रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	8.8		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुभर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	18.7		उडुद, मूँग, सोयाबीन, तिल,	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	2.0		गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों,		
4. पवई	5.0		अलसी, मसूर, मटर, आलू प्याज.		
5. शाहनगर	..		(2) ..		
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	29.8		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	45.4		तेवड़ा, राई-सरसों, अलसी,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	6.0		आलू, प्याज.		
4. सागर	8.6		(2) ..		
5. रेहली	15.0				
6. देवरी	34.0				
7. गढ़ाकोटा	27.4				
8. राहतगढ़	8.0				
9. केसली	44.0				
10. मालथोन	5.0				
11. शाहगढ़	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, मूँग, उड़द सुधरी हुई. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	12.0				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	13.0				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	1.4				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	3.2				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	3.0				
9. बिरसिंहपुर	..				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, जौ, राई-सरसों, अरहर समान. मसूर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकर्चुलियान	..				
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, चना, गेहूँ अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) अलसी, चना, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	4.3				
2. सिंहावल	..				
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	2.3				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. *जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. चितरंगी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. देवसर	..		(2) ..		
3. सिंगरौली	..				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्या	..		4.(1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	33.0				
4. गरोठ	..				
5. मंदसौर	19.0				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुंधड़क्का	16.0				
9. संजीत	6.0				
10. कयामपुर	..				
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..		4.(1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	..				
23. *जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जावरा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. आलोट	..		(2) ..		
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलोदा	..				
6. रतलाम	..				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	54.0		4.(1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	20.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	14.0				
4. घटिया	2.0				
5. उज्जैन	10.0				
6. बड़नगर	12.0				
7. नागदा	13.0				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़ौद	..		4. (1) गेहूँ, चना, रायड़ा समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोहम्मद बड़ोदिया	..		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	5.0				
4. कालापपीपल	25.0				
5. गुलाना	80.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नोद	. .				
6. खातेगांव	. .				
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. मेघनगर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जोवट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोंडवा	. .				
5. भामरा	. .				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, कपास, गन्ना	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .		(2) . .		
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू	. .				
(डॉ. अम्बेडकर नगर)					
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) मक्का, तुवर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		ज्वार, धान, बाजरा, कपास,	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	. .		मूँगफली, गेहूँ, अलसी,		
4. खरगौन	. .		राई-सरसों कम.		
5. गोगावां	. .		(2) . .		
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..		4. (1) गन्ना, मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. ठीकरी	..		ज्वार, कपास कम.	चारा पर्याप्त.	
3. राजकोट	..		(2) ..		
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	..				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) गेहूँ, चना सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	4.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	3.8		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	77.2				
4. ब्यावरा	8.0				
5. सारंगपुर	28.5				
6. पचोर	41.0				
7. नरसिंहगढ़	..				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. लटेरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..				
4. बासोदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	अप्राप्त		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इच्छावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. रायसेन	1.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. गैरतगंज	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	38.0				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	5.0				
6. सिलवानी	9.0				
7. बाड़ी	17.0				
8. उदयपुरा	16.0				
41. *जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. भैंसदेही	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. घोड़ाडोंगरी	..		(2) ..		
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. बनखेड़ी	..				
8. पचमढी	..				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	..				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	5.8		4. (1) उड़द, मूँग सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	6.4		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	234				
4. मझोली	1.0				
5. कुण्डम	22.2				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघौगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गाडरवारा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. करेली	..		(2) ..		
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेंदूखेड़ा	..				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	17.0		4. (1) गेहूँ चना, मटर, मसूर.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	2.6		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	67.7				
4. मण्डला	39.0				
5. घुघरी	17.1				
6. नारायणगंज	..				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बजाग	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुरा	..				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	13.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	1.4		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	..				
4. तामिया	9.0				
5. सोंसर	45.4				
6. पांढुर्णा	9.6				
7. अमरवाड़ा	7.4				
8. चौरई	33.2				
9. चांद	6.1				
10. बिछुआ	..				
11. हरई	..				
12. उमरेठ	8.4				
13. बोलखेड़ा	10.8				
50. *जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सिवनी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. कंवलारी	..		(2) ..		
3. लखनादोन	..				
4. बरघाट	..				
5. कुरई	..				
6. घंसीर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. खैरलाँजी	..				
4. बैहर	..				
5. लालबर्रा	..				
6. वारासिवनी	..				
7. बिरसा	..				
8. कटंगी	..				
9. परसवाड़ा	..				
10. किरनापुर	..				

टीप.-*जिला गुना, सिंगरौली, रतलाम, बैतूल, नरसिंहपुर व सिवनी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.